बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों का नियोजन/स्वनियोजन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के द्वितीय चरण के प्रावधानों के अनुसार संस्थानों में नियोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी की अध्यक्षता में नियोजन एवं प्रशिक्षण कोषांग का गठन किया जाता है। उक्त कोषांग के लिए आवश्यक संख्या में व्याख्याता/ सहायक प्राध्यापक स्तर के शिक्षकों को समन्वयक के रुप में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

2. विभागीय स्तर पर गठित नियोजन एवं प्रशिक्षण कोषांग के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे :–

(i) उद्योगों/कम्पनियों/सेवा क्षेत्रों का डाटाबेस तैयार करना।

(ii) राज्य के तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों का डाटाबेस तैयार करना।

(iii) छात्रों में स्वरोजगार हेतु उद्यमशीलता का सृजन करने के लिए कार्य योजना तैयार करना एवं संस्थानों से समन्वय स्थापित कर क्रियान्वित कराना (Job seeker से Job provider की मनोवृति की ओर उन्मुख करना)।

(iv) बाजार मॉग के अनुरुप छात्रों को दक्ष कर नियोजन योग्य बनाने हेतु कार्य योजना तैयार करना एवं संस्थानों से समन्वय स्थापित कर क्रियान्वित कराना।

(v) सरकार को नियोजन के संबंध में आवश्यक परामर्श देना।

(vi) अन्य विभागों एवं संगठनों यथा उद्योग विभाग, श्रम संसाधन विभाग, उद्योग संघों, औद्योगिक संगठनों एवं संस्थानों के मध्य समुचित संवाद कायम रखने के लिए बैठक, कार्यशाला, सेमिनार एवं व्याख्यान का आयोजन कराना।

(vii) वैश्विक बाजार में हो रहे नूतन शोध एवं विकास के आधार पर बाजार मॉग के अनुरुप पाठ्यक्रमों को अद्यतन कराना।

3. उक्त कोषांग के कार्यकलापों के सफल संचालन हेतु आवश्यक स्थान, कम्प्यूटर आदि तथा कर्मियों की व्यवस्था निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी द्वारा की जाएगी। उपर्युक्त कोषांग के लिए किसी भी परिस्थिति में पदों का सृजन अथवा किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जायेगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

ह0/–
संयुक्त सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

कृ०पृ०उ०....2